कार्यालय :: प्रधानाचार्य, बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, चन्दौली।
E-mail : medicalcollagechandauli@gmail.com, principal@bkasmcc.org
Website : http://www.bkasmcc.org

पत्रांक– BKASMC / सं0चि0शि0 / विज्ञप्ति / 2024–25 / 896 दिनांक–24.01.2025

–:संविदा चिकित्सा शिक्षक पदो हेतु विज्ञप्ति:–

बाबा कीनाराम स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चन्दौली में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य,सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन विज्ञप्ति ।

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार एन0एम0सी0 / एम0सी0आइ0 मानको के पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय के विभिन्न विभागों में आचार्य,सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के सृजित पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदो पर चयन समिति के द्वारा वाक–इन–इन्टरव्यूव के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थीयों से यह अपेक्षा की जाती है, कि वह साक्षात्कार हेतु दिनांक–25.01.2025 से किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय प्रधानाचार्य बाबा कीनाराम स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चन्दौली में पूर्वान्ह 12:00 बजे अपने समस्त शैक्षिक / अनुभव प्रमाण पत्रों / शोध–पत्रों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों का एक सेट बायों–डाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित संलग्न प्रारुप के साथ उपस्थित होंगे। चिकित्सा शिक्षको के पदो की रिक्तियॉ एवं नियुक्ति की शर्ते महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश के वेबसाइट http://dgme.up.gov.in एवं बाबा कीनाराम स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय चन्दौली के वेबसाइट–www.Reachus@bkasmcc.org पर उपलब्ध है।

रिक्त पदों का विवरण

क्र0 सं0	विशिष्टता	आचार्य		सह–आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी	पदो की संख्या	श्रेणी
1	आर्थोपेडिक	--	--	--	--	-	-
2	आप्थल्मोलाजी	01	EWS	01	SC	--	--
3	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलाजी	--	--	-	-	-	-
4	एनाटमी	01	OBC	--	--	-	-
5	एनेस्थीसियोलॉजी	01	UR	01	SC	01	UR
				01	UR	01	OBC
						01	UR
6	आटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी	01	SC	01	OBC	-	-
7	कम्युनिटी मेडिसीन	--	--	01	SC	02	SC
8	जनरल मेडिसीन	--	--	01	UR	-	-
				01	OBC		
				01	UR		
9	जनरल सर्जरी	-	-	02	OBC	--	--
10	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	01	SC	-	-
11	पिडियाट्रिक	01	OBC	--	--	-	-
12	पैथोलॉजी	-	-	02	UR	--	--
						--	--
						01	EWS
13	फर्माकोलाजी	01	SC	01	SC	--	--
14	फिजियोलॉजी	01	OBC	-	-	--	--
						01	SC

Scanned with CamScanner

15	फोरेन्सिक मेडिसीन	-	-	01	OBC	-	-
16	बायोकेमेस्ट्री	-	-	01	OBC	--	--
17	माइक्रोबायलाजी	01	OBC	-	-	--	--
18	रेडियो–डायग्नोसिस	01	UR	01	OBC	--	--
19	साइकियाट्री	-	-	-	-	--	--
	कुल योग	**9**	**--**	**17**	**--**	**7**	**--**

नोटः– एन0एम0सी मानको एवं एल0ओ0पी को दृष्टिगत रखतें हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् हैः–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0–2,20,000.00/सह–आचार्य का नियत वेतन रू0–1,60,000.00/ एवं सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0–1,20,000.00/माह है। इस आवेदन कर्ता को NMC/Medical Council of India Minimum Qualification for Teachers in medical Institutions Regulation 1998.द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताए एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश सं0–2282/71–1–2013–जी0–11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवा सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं0–562/71–1–2020–जी0–63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई–माह के प्रथम दिवस कों सहायक–आचार्य हेतु 60 वर्ष सह–आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चिकित्सा शिक्षको की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomous State Medical College U.P Principal and Teacher's (Recruitment and other Conditions of services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेगें।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षको को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने/ दिखाने के लिए बाध्य नही करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षको को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेंशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होंगे।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षको के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पायें जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षको का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात् चयनित अभ्यर्थी अगर निर्धारित श्रेणी में ही नियुक्त है एवं नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रदद मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना संम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक चिकत्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालअवधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे कालअवधि के लिए कोई बोनस देय नही होंगे।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितिकरण के हकदार नही होंगे।

Scanned with CamScanner

15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान कर समाप्त की जा सकती है। संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा कार्यरत चिकित्सा शिक्षको के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यालय के आधार पर अपने विनीयमितिकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नही करेंगे,और न ही उन्हे निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
16. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नही है। यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
17. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी0सी0–2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0 (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रू0 08 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र संम्बन्धित क्षेत्र के तहसिलदार/सक्षम अधिकरी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
19. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

प्रधानाचार्य
बाबा की0स्व0रा0चि0 महाविद्यालय,
चन्दौली।

पत्रांक– BKASMC/सं0चि0शि0 /विज्ञप्ति/2024–25/ **तत्दिनांक**

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित के सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव चिकत्सा शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

प्रधानाचार्य
बाबा की0स्व0रा0चि0 महाविद्यालय,
चन्दौली।

Scanned with CamScanner